राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक किस तरह खाद्य सुरक्षा के लिए नुकसानदेह है

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक इस संकीर्ण नजरिए को आधार बनाकर तैयार किया गया है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या जरूरी है; इसी को ध्यान में रखते हुए विधेयक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज के व्यापक वितरण तक सीमित रखा गया है। लेकिन इस सीमित सोच के बावजूद यह विधेयक मौजूदा खाद्य सुरक्षा के संकट को और गहरा बना रहा है तथा पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है।

हाल के वर्षों में कई राज्यों ने बीपीएल को लाभ पहुंचाने के लक्ष्य से हटते हुए अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कई मायनों में बेहतर किया है, साथ ही व्यापक पहुंच के साथ एक सम्मिलित नजरिया भी अपनाया है। लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक इस प्रवृत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है; खासकर राज्य सरकारों पर अपनी नई अवधारणा थोपने की नीति से। केंद्र द्वारा निर्धारित पैमानों के आधार पर आबादी को 'प्राथमिकता (प्रायोरिटी)', 'सामान्य' (जनरल) तथा 'वंचित' (एक्सक्लूडेड) समूहों में बांटकर यह नीति थोपी जाएगी। इस ढंकी-छुपी नीति की चलते 'बीपीएल लक्ष्य' की तमाम जानी-पहचानी समस्याएं बनी रहेंगी; इसमें एक बड़ी आबादी को योजना से दूर रखने की प्रक्रिया में होने वाली गलतियां तथा अधिकारों के आधे-अधूरे बंटवारे सरीखी गलतियां शामिल हैं।

विशेष तौर पर :

1. अब तक इस मुद्दे पर कोई स्पष्टता नहीं बन पाई है कि 'प्राथमिकता' तथा 'सामान्य' श्रेणी के परिवारों को किस आधार पर पहचाना जाएगा। ऐसा समझा जा रहा है कि इसके मानदंड सामाजिक, आर्थिक तथा जातिगत जनगणना के निपटने के बाद तय किए जाएंगे। लेकिन भोजन के अधिकारों से संबंधित कोई भी कानून कैसे पारित किया जा सकता है जब तक यही पता न हो कि वह अधिकार पाने वाला कौन है?
2. इस ढांचे के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पूरी तरह से सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना के समय पर तथा सफलतापूवर्क संपन्न होने पर ही निर्भर है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जाति आधारित जनगणना फिलहाल खुद ही विवादों में घिरी है।
3. अगर यह मान भी लिया जाए कि जाति आधारित जनगणना संपूर्ण हो जाती है, तो भी आबादी को बीपीएल से 'वंचित' रखने की प्रक्रिया में कई बड़ी ऐसी गलतियां होने की पूरी संभावनाएं हैं जिनका उल्लेख इस जनगणना के पायलट में खुद ही किया जा चुका है। इसमें कई गरीब परिवारों को 'सामान्य' श्रेणी में डालकर बेहद अल्प अधिकार देने की आशंका भी है।
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का ढांचा बेहद बाधाकारी है। इसके नए थोपे जाने वाले 'लक्ष्यों' की वजह से कई राज्य जो ज्यादा समग्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ओर बढ़ चुके हैं, दिक्कतों का सामना कर सकते हैं।
5. छोटे परिवार जिनमें लाखों अंत्योदय (निर्धनतम परिवार) योजना के लाभार्थी शामिल हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक की वजह से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि उन्हें जबरन प्रति व्यक्ति अधिकार लागू करना होगा। मसलन, एक बुजुर्ग विधवा जो अकेले रहती हो उसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत महज 7 किलो अनाज प्रति माह मिल पाएगा जबकि अंत्योदय परिवार के तहत अभी वह 35 किलो अनाज की हकदार है।

6. तमिलनाडु की सार्वभौमिक सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली, जो देश भर के लिए एक मॉडल है, इस कानून के बाद उपेक्षित रह जाएगी।
7. 'प्राथमिकता' श्रेणी के परिवारों का चयन आधिकारिक प्रक्रिया से ही बंधा रहेगा, यानी गरीबी रेखा के आधार पर ही तय होगा। वास्तव में होगा यह कि 'प्राथमिकता' श्रेणी के परिवार बीपीएल परिवार ही होंगे, महज एक नए नाम के साथ।

इससे पहले की यह विधेयक संसद में पेश किया जाए, इसके समूचे में ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है। अन्यथा 'खाद्य सुरक्षा विधेयक' वास्तव में खाद्य सुरक्षा के लिए नुकसानदेह ही साबित होगा।